"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2016— माघ 28, शक 1937

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-48/2015/56. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की नवाचार एवं उद्यमिता विकास नीति, 2015 संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिसूचित की जाती है. उक्त नीति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी एवं दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक वैध होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, उप-सचिव.

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ की नवाचार एवं उद्यमिता विकास नीति, 2015

1. प्रस्तावना–

1.1 1.2 अरब की जनसंख्या एवं सुदृढ़ सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ भारत विकास एवं निवेश का प्रमुख स्थान है। भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था और 3100 स्टार्टअप (2014) के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप ईको सिस्टम है *(नैस्कॉम स्टार्ट अप रिपोर्ट 2014)*। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, अप्रैल 2015 में, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.306 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की है जो आगामी पांच वर्ष में 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर को पार करने की ओर अग्रसर है, Purchasing power parity की गणना अनुसार यह संख्या 7.996 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की गणना से भारत 7 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्मार्ट फोन बाजार है।

1.2 छत्तीसगढ़, तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है तथा प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी राज्यों में है। यह राज्य, मध्य भारत के हृदय में अवस्थित है, जो सीमावर्ती 7 राज्यों के बाजारों का प्रवेश द्वार है। छत्तीसगढ़ विद्युत अधिशेष राज्य है और किफायती दरों पर स्थिर (निरन्तर) विद्युत प्रदान कर रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने ''कौशल का अधिकार'' प्रदान किया है। राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अखिल भरतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सफलतापूर्वक संचालन होने के साथ उत्कृष्ट शिक्षा के लिए ईको सिस्टम उपलब्ध है और शीघ्र ही आईआईटी तथा सीमेंस द्वारा आईआईआईटी में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की योजना है।

1.3 पन्द्रह वर्ष की अल्प अवधि में राज्य विद्युत, कोयला, इस्पात और सीमेन्ट जैसे कोर सेक्टर के उद्योगों का केन्द्र बन गया है। भविष्य की आगामी पीढ़ी के शहरों को विकसित करने की दिशा में नया रायपुर दूसरों से आगे निकल गया है। कुल 237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 21 वीं सदी की हरित स्मार्ट सिटी विकसित की गई है। यह देश में इस तरह की पहली डिजाईन की गई सिटी है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, इसे भारत की 100 स्मार्ट सिटी परियोजना में दाहराया जा रहा है।

1.4 राज्य, विकास के नये इंजिन के रुप में उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है, जिसका नवाचार एवं उद्यमिता प्रमुख आधार है। देश में मोबाईल के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है, भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता में भी बदलाव हुआ है। जीवंत भारतीय बाजार के नये ईको सिस्टम में उद्यमियों/ स्टार्ट अप सेवाओं की प्रदायगी में भी बड़ा उछाल आया है।

1.5 छत्तीसगढ़ शासन ने स्टार्ट अप / उद्यमिता को भविष्य में रोजगार सृजक तथा सामाजिक नवाचार का प्रमुख इंजन माना है। यहां तक कि बड़ी कंपनिया तीव्र गति से बढ़ रहे नवाचार एवं उद्यमिता के

परिवेश में निवेश के लिए स्टार्ट अप ढूंढ रही है। जो इन्क्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए एक सरल लैंडिंग का मंच प्रदाय करेगी।

1.6 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में नवाचार के महत्व को स्वीकार करते हुए, उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने नीतिगत पहल को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। अपने प्राकृतिक संसाधनों का विकास जैसे खनिज, वन और कृषि और मानव संसाधन, विशेष रूप से आदिवासी जिनके पास अपने स्वयं के उत्कृष्ट कौशल हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिकी से वंचित है, साथ ही नया रायपुर के विकास– भारत की स्मार्ट सिटी पहली ग्रीनफील्ड राजधानी का लाभ उठाने के लिए यह नीति नवाचार और उद्यमिता के लिए राज्य में एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक प्रयास है।

1.7 छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक संस्था को मनोनीत करेगा, जो इस नीति को लागू करने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी होगी।

2. नीति–

2.1 राज्य की औद्योगिक नीति तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की नीति नए युग के उद्यमियों के लिए मुख्य नीति होगी, नवाचार और उद्यमिता के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोत्साहन इस नीति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2.2 दूरदृष्टि– जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, "अनुसंधान और प्रौद्योगिकी" का दोहन करके राज्य को "उद्यमशीलता और नवाचार" का वैश्विक मुख्य केंद्र बनाना।

2.3 आगामी 3 वर्षों में महत्त्वपूर्ण लक्षित परिणाम –

- राज्य में एक्सेलरेटर्स/ प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटरों (TBI) को स्थापित करना।
- 100 से अधिक उपक्रमों की स्थापना।
- राज्य में स्थापित स्टार्ट–अप में उद्यमों, पूंजीपतियों, वित्तीय संस्थानों और ऐंजल निवेशकों द्वारा निवेश।
- स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्टार्ट–अप बूट शिविर का आयोजन।
- स्टार्ट अप के लिए अधोसंरचना जैसे एक्सीलेटर, इंक्यूबेटर, अनुसंधान और विकास स्थल स्थापित करने के लिए बड़ी नवाचार कंपनी को राज्य के साथ जोड़ना।

- विश्व एवं एशिया के प्रमुख प्रकाशनों और प्रख्यात व्यक्तियों / कार्पोरेट्स के बीच नवाचार एवं उद्यमिता के शीर्ष केन्द्र के रुप में मान्यता प्राप्त करना।

- यह सुनिश्चित करना कि स्टार्ट अप महिला संचालित या स्टार्ट अप टीम में सह–संस्थापक महिला हों, जिससे महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हुए, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकें।

- उच्च गुणवत्ता के जीवन यापन हेतु राज्य के नागरिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्टार्ट–अप के साथ जोड़ना।

2.4 नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में नवाचारी व्यवसायों पर ध्यान दिया जाएगा–

1 स्थापित प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, कोयला, बिजली आदि।

2 इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा वियरेबल प्रौद्योगिकीयां

3 इंटरनेट एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी और सामाजिक गतिशीलता विश्लेषिकी और क्लाउड (एसएमएसी)

4 वित्तीय समावेशन और मोबाइल कॉमर्स पर केन्द्रित वित्तीय प्रौद्योगिकी

5 हेल्थकेयर प्रौद्योगिकी

6 एमएसएमई क्षेत्र द्वारा दक्षता बढ़ाना और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के लिए नए समाधान

7 नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए सामाजिक नवाचार (इसमें सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता प्रौद्योगिकीयां, सौर आधारित नवाचार, कृषि, वन उपज, सस्ते जैव चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल आधारित रोग निर्णय, सस्ते कृत्रिम अंग, शिक्षा और आजीवन, कौशल विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी या मोबाइल प्रौद्योगिकी शामिल हैं)

8 रक्षा, ऑटोमोटिव, कृषि प्रसंस्करण, ईएसडीएम और जैव प्रौद्योगिकी जैसे राज्य के उभरते क्षेत्र

9 अक्षय ऊर्जा

10 सुरक्षित और स्मार्ट शहर, और स्मार्ट गांव

2.5 छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को नामांकित किया जाएगा। राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से एक समर्पित राज्य कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर की स्थापना की जाएगी जहां स्टार्ट–अप इनक्यूबेट किए जाएंगे। शासन सफल स्टार्ट–अप के विकास में सहयोग करने के लिए उद्यम पूंजी निधि का सृजन भी करेगा। छत्तीसगढ़ शासन शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी चाहता है। नीति के सफल क्रियान्वयन / रणनीति निर्धारण हेतु पृथक से अनुभवी मानव संसाधन का सहयोग लिया जाएगा।

3. सफलता के 6 तत्त्व–

राज्य की नवाचार नीति छत्तीसगढ़ को भारत और विश्व के लिए आर्थिक विकास का एक उद्यमी इंजन बनाने की दिशा में आवश्यक छह मूल तत्त्वों पर आधारित है–

(1) इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर

(2) प्रोटोटाइप शॉप और सहकर्म स्थान

(3) वित्तीय प्रोत्साहन और राज्य समर्थन

(4) उद्यमिता शिक्षा और कौशल विकास

(5) बाजार लिंकेज

(6) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर संचालन

(1) इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर

- ये नवाचार को वास्तविक जीवंत व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मुख्य बिन्दु है और इस प्रकार "विचार" "उत्पाद" में बदलते हैं। इससे नवाचारियों, राज्य और देश के लिए धन सृजित होने के अतिरिक्त, व्यापक रोजगार भी सृजित होता है।

- राज्य शासन स्वयं का केन्द्र स्थापित करने के लिए वैश्विक ख्याति के शैक्षिक संस्थान को आमंत्रित कर कम से कम एक विश्व स्तरीय कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर स्थापित करेगा।

- राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में शीर्ष कंपनियों, विश्वविद्यालयों और उद्योग संघों की भागीदारी के साथ स्टार्ट–अप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर स्थापित किया जाएगा।

- स्टार्ट–अप समुदाय और बड़े संगठनों को एक साथ लाने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर में कॉर्पोरेट नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए कार्यरत होगी।
- भविष्य की आवश्यकता के आधार पर, शासन संभाव्य जिला और व्यवसाय क्षेत्र केन्द्रित मिनी इनक्यूबेशन केन्द्र प्रारंभ कर सकती है, जो कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर के साथ जोड़े जाएंगे।
- इस नीति के अंतर्गत नियोजित तीन प्रमुख प्रकार के इनक्यूबेटर–सह– एक्सीलरेटर हैं–

1. प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर– ये सभी क्षेत्र के विचारों/ उद्यमियों के लिए होगा, जो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों/ विचारों के साथ स्टार्ट– अप पर केंद्रित होगा। ये सरकार, कंपनियों, विश्वविद्यालयों/ शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किया जा सकते हैं। राज्य शासन, राज्य या केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत धन की व्यवस्था हेतु यदि कोई है तो सहयोग प्रदान किया जाएगा। कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर राज्य भर में सभी इन्क्यूबेटरों और एक्सेलरेटरों के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

2. व्यवसाय इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर– ये इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर क्षेत्र निरपेक्ष होंगे और सभी प्रकार के स्टार्टअप को कोच, संरक्षित और इनक्यूबेट करेंगे, चाहे उनका उत्पाद, क्षेत्र या स्टार्ट–अप की स्थिति कुछ भी हो। जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास के लिए उत्पादों/ विचारों या सामाजिक प्रभाव के लिए अभिनव समाधान वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसएमई) फोकस इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर– इस प्रकार के इन्क्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स उद्यमिता प्रशिक्षण, व्यापार योजना विकास, पूंजी लिंकेज सुविधाकरण और बाजार लिंकेज सुविधाकरण के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगें। चूंकि ये उद्यमी राज्य के कोर क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक समर्थन सहायक प्रणाली के रूप में भी कार्य करेंगे, ऐसे इन्क्यूबेटरों और एक्सीलेरेटरों के विकास के लिए प्रमुख उद्योगों से सहायता मांगी जा सकती है। ये इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को सक्रिय करने में भी मदद करेंगे।

(2) प्रोटोटाइप शॉप और सहकर्म स्थान–

कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर में सभी इन्क्यूबेट के लिए साझा सुविधाएं सम्मिलित होंगी वे निम्नलिखित लेकिन यहां तक ही सीमित नहीं होंगी–

1 पार्ट फैब्रिकेशन और प्रोटोटाइपिंग स्टूडियो

2 निर्माता समुदाय के लिए पार्ट हैकर स्थान और पार्ट अध्ययन केंद्र

3 लेजर कटर, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाएं, मशीन शॉप, वुड शॉप, एक धातु कर्म शॉप, कपड़ा विभाग, वेल्डिंग स्टेशन, वाटर जेट कटर, आदि शामिल करने के लिए सुविधाएं।

4 सदस्यों को सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए कुछ प्रमुख डिजाइन सूट।

5 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और दूसरों के साथ सहयोग के लिए विशाल परियोजना क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा

6 विशेष रूप से दलों को साथ लाने और बनाने के कार्य में उन्हें शामिल करने के लिए अनुभव पर आधारित अनेक कॉर्पोरेट आयोजन का विकास किया जाएगा

7 पारंपरिक उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी/ स्मार्ट समाधान के विकास के लिए स्थानीय प्रमुख उद्योगों के साथ जुड़ाव

समावेशी एवं सतत सामाजिक–आर्थिक विकास करने के लिए कोर इनक्यूबेटर–सह– एक्सीलरेटर में सहकर्म स्थल शामिल होंगे। ये सहकर्म स्थल आर्थिक समृद्धि के लिए सामाजिक पूंजी और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को तीव्र करने के लिए समर्पित होंगे। ये एक बहुआयामी, बहु प्रयोजन स्थल होंगे जहां रचनात्मक तकनीक और सामाजिक उद्यमों को उत्प्रेरित करने के लिए कार्य होगा। यह कई सामाजिक समस्याओं के लिए नए समाधान के सह–निर्माण करने में और छत्तीसगढ़ राज्य और इसके आसपास सामाजिक उद्यमियों, सरकार, तकनीकी कंपनियों, और निवेशकों के लिए एक साझा मंच होगा।

(3) वित्तीय प्रोत्साहन और राज्य समर्थन–

3.1 कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर हेतु दो श्रेणी की निधि बनाई जाएंगी–

क) कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर की स्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा कम से कम तीन वर्षों के लिए एक नवाचार निधि बनाई जाएगी, यह राज्य अनुदान से वित्तीय नियम अनुसार पोषित होगी। निधि उपयोग इस प्रकार किया जाएगा–

1. आवश्यक उपकरणों के साथ मूलभूत अधोसंरचना और कार्यालय की स्थापना
2. बिजली, इंटरनेट और अन्य प्रशासनिक व्यय लागत एवं संचालन–संधारण व्यय
3. विपणन, प्रचार और प्रोत्साहन के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यक्रम
4. संचालन हेतु कर्मचारियों का विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

5. शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बूट शिविर

6. कार्यान्वयन एजेंसी की संचालन लागत

7. स्टार्ट–अप के लिए वित्तीय सहायता– राज्य शासन, राज्य के कुछ इनक्यूबेटी/स्टार्ट–अप का चयन करने के पश्चात् उपयुक्त सहायता (निश्चित अवधि हेतु) प्रदान करेगा। ऐसे स्टार्ट–अप का चयन उचित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

8. निधि का उपयोग राज्य एवं विश्व स्तर पर प्रासंगिकता के महत्त्वपूर्ण मुद्दों (जैसे स्मार्ट सिटी, वित्तीय समावेशन आदि) पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, नव आविष्कारकों और उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए किया जाएगा। एक ''चैलेंज कार्यक्रम'' का गठन किया जावेगा, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह मुद्दों की व्यवहार्यता से संबंधित संभावित समस्याओं को सूचीबद्ध करेगा और उस पर व्यावहारिक समाधान प्रदान करेगा, चयनित सर्वश्रेष्ठ विचारों को राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसे भारत और दुनिया भर में पहुंचाया जा सकेगा।

ख) स्टार्ट–अप्स के लिये एक विशेष लीप ऑफ फेथ रिवाल्विंग निधि © (LoFR निधि)

1. स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण में धन की आवश्यकता सबसे बड़ी समस्या होती है जिसे स्वीकार करते हुए, LoFR निधि राज्य इनक्यूबेटर में से चयनित स्टार्ट–अप में से प्रत्येक में उनके शुरुआती खर्च के लिए 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

2. उपर उल्लिखित ब्याज मुक्त ऋण की वसूली तीन वर्षों में की जायेगी।

3. पूर्व में प्रदत्त राशि के प्राप्त होने पर यह राशि भी अन्य स्टार्ट–अप में निवेश के लिए LoFR फंड में वापस जमा कर दी जाएगी।

3.2 राज्य नोडल एजेंसी द्वारा उद्यमियों और स्टार्ट–अप के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों का लाभ उठाते हुए रुपये 100 करोड़ से अधिक की उद्यम पूंजी निधि जुटाई जाएगी।

1. संचालन समिति निर्धारित मापदंड के आधार पर राज्य स्थित स्टार्ट–अप, में उद्यम पूंजी निधि से निवेश करने के लिए स्वतंत्र होगी।

2. यह निधि निजी इक्विटी (पीई) या वेंचर फंड के रूप में प्रबंधित की जाएगी। इस निधि में से कुछ निधि को उद्यम कल्याण निधि के रुप में सामाजिक या पर्यावरण मिशन में संलग्न प्रारंभिक अवस्था के उपक्रमों को, समर्थन करने के लिए, आवंटित किया जा सकेगा।

3. राज्य शासन, स्टार्ट–अप और उद्यमिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में महिला उद्यमियों को प्रेरित करने और उनका सशक्तीकरण करने के लिए महिला नव आविष्कारियों के लिए उद्यम पूंजी निधि में से अलग कोर्पस निर्धारित किया जा सकेगा। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाएगा।

निधि का स्रोत–

1 राज्य बजट तथा अतिरिक्त रुप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सीएसआर धनराशि तथा विभागों, निगमों, सोसायटियों और संस्थाओं से निधि एकत्र की जाएगी जिसे राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

2 इन्क्यूबेशन और स्टार्ट–अप संस्कृति को ऊर्जावान् बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य शासन, भारत सरकार के विभिन्न विभागों से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, नीति आयोग आदि शामिल हैं।

3 राज्य के विभाग/शासकीय एजेंसियां/ निगम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि राज्य समर्थित कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलेटर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी वर्तमान या निकट भविष्य की आवश्यकताओं के समाधान हेतु संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव दे सकते हैं।

इन्क्यूबेटीज के लिए वित्तीय लाभ–

सभी इन्क्यूबेटर–सह–एक्सेलरेटर्स और स्टार्ट–अप राज्य की ''औद्योगिक नीति 2014–19'' एवं ''इलेक्ट्रॉनिक्स और सू.प्रौ/ सू.प्रौ.स.से. नीति 2014–19'' के अंतर्गत प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे।

इनक्यूबेटर/ एक्सीलरेटर की स्व–संधारणीयता– लक्ष्य इनक्यूबेटर/ एक्सेलेरेटर को तीन वर्ष की अवधि के भीतर आत्मनिर्भर बनाये जाने का प्रयास निम्नानुसार किया जाएगा–

1. कॉर्पोरेट प्रायोजन
2. स्टार्ट–अप से किराया
3. स्टार्ट–अप में निवेशित इक्विटी से रिटर्न
4. परामर्श कार्य

(4) उद्यमिता शिक्षा और कौशल विकास–

नवाचार एवं उद्यमिता विकास के लिए, मूल आधार को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य में शैक्षिक समुदाय की क्षमता का विकास और उद्यमिता हेतु शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना महत्त्वपूर्ण है।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ–साथ नवाचार किट और स्टार्ट–अप टूल बॉक्स स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को दिए जाएंगे।

- उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु शासन निजी क्षेत्र के सहयोग से स्कूल/ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बूट शिविर का आयोजन करेगी। इसे विशेष पहल के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे–

  क. नवाचार इवेंट और सामाजिक उद्यमिता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

  ख. उत्कृष्टता कार्यक्रम (सीईपी) और उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में उद्यमिता और नवाचार के लिए विद्यार्थियों को गहन अध्ययन, अनुभव, प्रशिक्षण आदि प्रदान करने के लिए वास्तविक स्टार्ट–अप, उत्पाद निर्माण एवं बाजार आदि का एक्सपोजर प्रदान करना।

  ग. अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ विनिमय कार्यक्रम।

- राज्य के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक जुटाने और शैक्षणिक संस्थानों में इवेंट आयोजित करने आदि की अनुभवी कंपनियों को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सुविधाएं दी जाएगी।

- चयनित छात्र उद्यमियों के लिए अपने नवाचारों/स्टार्ट–अप विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप और फेलोशिप कार्यक्रम राज्य शासन की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा।

- राज्य शासन उद्यमिता, नवाचार और स्टार्ट–अप से संबंधित पाठ्यक्रम/मॉड्यूल शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्क्रम में सम्मिलित करने और उसे समय पर अद्यतन करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगा। इस हेतु एआईसीटीई और यूजीसी के साथ आवश्यक समन्वय और विचार–विमर्श किया जाएगा।

- राज्य शासन नए विचारों का परीक्षण/ नवाचार में व्यतीत समय पर अकादमिक क्रेडिट और उपस्थिति के मापदंड में छूट देने के लिए छात्रों के लिए एक प्रणाली तैयार करने हेतु विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगा।

- राज्य शासन विश्वविद्यालयों और संस्थानों को "आवासीय छात्र उद्यमी" की अवधारणा लागू करने के लिए प्रेरित करेगा।

- राज्य नोडल एजेंसी द्वारा छात्रों के लिए उद्यमिता टॉक शो और स्टार्ट अप उत्सव आयोजित किए जाएंगे जिनमें प्रमुख वक्ता, पेशेवर, उद्यमी, व्यापारी और अन्य अग्रणी व्यक्ति अपने अनुभव और सीख साझा करेंगे।

- भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरुप प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को ई–साक्षर बनाने के लिए डिजिटल भारत योजना लागू की जाएगी।

- राज्य शासन अपने उद्यम आरंभ करने या राज्य इन्क्यूबेटर/ एक्सलरेटर के किसी स्टार्ट–अप में इंटर्न का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त उपस्थिति और अंकों के प्रावधान करने की नीति लागू करेगी, इससे युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पथ प्रशस्त होगा।

(5) बाजार लिंकेज

इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक वैश्विक ब्रांड बनाना और इनक्यूबेटीज को उपयुक्त कॉर्पोरेट और बाजार लिंकेज उपलब्ध करवाना है। यह लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन निम्नलिखित सुविधा प्रदान करेगा–

- कॉर्पोरेट और राज्य कनेक्ट– स्टार्ट–अप प्रोटोटाइप, बाजार परीक्षण के चरणों में पिछड़ने लगते हैं, अधिकांशतः प्रोटोटाइपिंग, विशेष उपकरणों आदि की आवश्यकता के कारण बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है और बाजार परीक्षण एक समस्या बन जाती है क्योंकि स्टार्ट–अप के पास वितरण चैनल और बाजार कनेक्ट नहीं होता है। यही वह जगह है जहां कॉरपोरेट जगत की भूमिका आती है, वे उनके क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के लिए प्रोटोटाइप की कुछ मात्रा को बाजार में ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दे सकते हैं। कॉर्पोरेट्स अपने विद्यमान चैनलों का उपयोग करके उस उत्पाद का बाजार परीक्षण कर सकते हैं। इससे उन्हें कम लागत पर और उच्च गति से अनुसंधान एवं विकास का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। राज्य नोडल एजेंसी सरकारी संस्थानों में इनक्यूबेटीज के लिए बाजार परीक्षण की सुविधा देगी।

- निवेशक कनेक्ट – स्टार्ट–अप उद्योग में निवेश करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं का आंकलन अभिनव समाधान, मजबूत आधार प्रदान करेगा। राज्य नोडल एजेंसी इस तरह के समाधान को उद्योग और निवेशक समुदाय के समक्ष प्रदर्शन के लिए डेमो की सुविधा प्रदान करेगी।

- युवाओं की प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वार्षिक स्टार्ट–अप उत्सव आयोजित किया जाएगा।

- परिपक्व स्टार्ट–अप, कॉलेज और स्कूल के छात्रों को विनिमय कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के माध्यम से अग्रणी स्टार्ट–अप स्थलों से अवगत करवाया जाएगा।

(6) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

राज्य शासन इन्क्यूबेटर/ एक्सलरेटर के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों के साथ भागीदारी करेगा। स्थानीय विशेषज्ञ एवं भागीदार संस्थान, ग्लोबल उद्यमिता कार्यक्रम के प्रबंधन का अनुभव रखनेवाले कंसल्टेंट्स, कार्यान्वयन एजेंसी होंगे। यह एजेंसी एक्सलरेशन प्रक्रिया चलाने में राज्य की मदद करेगी, ऑनलाइन शिक्षण और स्टार्ट–अप शिक्षा सामग्री बनाने के साथ ही प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण स्टार्ट–अप दोनों के लिए मेंटरिंग कार्यक्रम भी बनाएगी।

राज्य शासन स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिए इन तकनीकी विशेषज्ञों/मेन्टर/कोच/विश्वविद्यालयों की सेवाओं का लाभ उठाते हुए राज्य में स्थापित इन्क्यूबेटर/ एक्सलरेटर की गुणवत्ता सशक्त करेगी ताकि राज्य में उद्यमिता शिक्षकों, मेन्टर्स और इन्क्यूबेशन प्रबंधक की भूमिका के लिए एक पाइपलाइन विकसित की जा सकें।

राज्य नोडल एजेंसी के उत्तरदायित्व–

1. इनक्यूबेटर के सफल संचालन के लिए समय–समय पर मूलभूत अधोसंरचना और अन्य आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
2. स्टार्टअप/ इनक्यूबेटीज के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधा और कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर की परिचालन सब्सिडी, भौतिक अधोसंरचना का विकास कर स्टार्ट–अप के विभिन्न प्रकारों (उत्पाद, विनिर्माण, सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग आदि) के आधार पर प्रदान की जाएगी। लघु या प्रारंभिक चरण स्टार्ट–अप को साझा कार्यस्थान प्रावधान और अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य टेलरमेड सुविधाएं उपलब्ध करवाकर समान रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। नोडल एजेंसी कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर के ऑपरेटरों की पूर्ति और सामान्य सेवाएं प्रदान करने जैसे लेखांकन, बैंक वित्त पोषण, कानूनी पंजीकरण, पेटेंट पंजीकरण आदि के लिए भी उपयुक्त सब्सिडी दे सकती है। नोडल एजेंसी आवश्यकता अनुसार इन्क्यूबेटीज के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार कर सकती है।
3. नवाचार निधि और लीप ऑफ फेथ फंड का प्रबंधन।
4. संचालन समिति द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व।

क्रियान्वयन एजेंसी से प्रमुख अपेक्षाएं–

1. छत्तीसगढ़ नवाचार के दृष्टिकोण अनुसार नीति का क्रियान्वयन करना।
2. कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर पर संगठनात्मक दायित्व और प्रबंधन।
3. समर्थन, पारिस्थितिक तंत्र, कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, तकनीकी संसाधन एवं यथा आवश्यकता लेखांकन, पंजीकरण, आई पी आदि जैसी अन्य सेवाएं स्थापित करना।
4. स्टार्ट–अप और इन्क्यूबेटीज के चयन में सहायता
5. उद्योग और कॉर्पोरेट कनेक्ट में इन्क्यूबेटीज की सहायता
6. सेक्टर में बदलती इन्क्यूबेटी आवश्यकताओं पर आधारित एक लचीले फ्रेमवर्क में इन्क्यूबेटी स्टार्ट–अप के वित्त पोषण, पोषण और समर्थन की सुविधा प्रदान करना।
7. प्रमुख कॉर्पोरेट ब्रांड, शिक्षा और कारपोरेट एसोसिएशन के साथ साझेदारी
8. इन्क्यूबेटीज के लिए धन की व्यवस्था के लिए वेंचर केपिटलों और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
9. ज्ञान प्रबंधन और सूचना/ विपणन किट
10. ऑनलाइन और डिजिटल कनेक्ट, सामाजिक मीडिया सहित अभियान और विपणन रणनीति।
11. लीप ऑफ फेथ रिवाल्विंग फंड (LoFR) के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत करना।
12. कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर के निष्पादन और प्रबंधन के लिए आवश्यक आत्मनिर्भर व्यापार का मॉडल निर्माण करना ताकि परिचालन के 3 वर्ष बाद भी इनक्यूबेटर/ एक्सीलरेटर सफलतापूर्वक प्रबंधित और चालित किया जा सके।

4. संचालन समिति–

राज्य में नीति के कार्यान्वयन और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने मार्गदर्शन, अंतर्विभागीय समन्वय, निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक संचालन समिति गठित की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य

3	सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग	सदस्य
4	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
5	सचिव, विधि विभाग	सदस्य
6	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
7	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	आयुक्त सह संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
9	संचालक, उद्योग	सदस्य
10	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी)	सदस्य
11	उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी	सदस्य
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य
13	उप सचिव/ संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सू. प्रौ. विभाग	सदस्य सचिव

संचालन समिति आवश्यकता के अनुसार किसी भी अन्य प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है। इस नीति के बारे में संचालन समिति के सभी निर्णय अंतिम होंगे और राज्य में निवेशकों सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे।

संचालन समिति के मुख्य दायित्व–

- राज्य में कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर के प्रबंधन के लिए भागीदार/ शैक्षेणिक संस्थानों को स्वीकृति देना तथा अन्य इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर की संस्थाओं के चयन को अनुमोदित करना।
- स्टार्ट–अप उद्यमी को चयन करने एवं अनुदान प्रदान करने की मात्रा तथा प्रक्रिया का अनुमोदन करना।
- इस नीति के अंतर्गत कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर एवं राज्य में स्थापित होने वाले अन्य इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर हेतु अनुदान की मात्रा स्वीकृत करना।
- इस नीति के लिए कार्य योजना को अनुमोदन देना, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और नियमित समीक्षा।
- इस नीति के प्रभावी संचालन के लिए किसी भी कार्यकारी आदेशों/ निर्देशों को जारी करने हेतु अधिकृत करना।

- स्टार्ट–अप ईको सिस्टम के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सहायता को राज्य मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुमोदन प्रदान करना।

5 अन्य शर्तें–

5.1 यह नीति, इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 अक्टूबर 2019 तक वैध होगी।

5.2 भारत सरकार द्वारा भी "स्टार्ट–अप" के संबंध में नीति शीघ्र जारी की जा रही है। यदि भारत सरकार की नीति के अंतर्गत राज्य की इस नीति में राज्य में स्थापित इंक्यूबेटर–एक्सलरेटर, स्टार्ट अप को अतिरिक्त प्रोत्साहन/अनुदान/प्रतिपूर्ति प्राप्ति की पात्रता आयेगी तो वह भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत अनुज्ञेय प्रोत्साहन/अनुदान/ प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी अर्हं होंगे।

5.3 इस नीति के प्रावधानों की व्याख्या के विषय में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

5.4 इस नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को समय–समय पर निर्देश या आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

5.5 इस नीति के सफल कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए, उपयुक्त परिचालन दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत के अनुसार समयबद्ध तरीके से संशोधित किए जाएंगे।

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 4-48/2015/56. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-2-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, उप-सचिव.

Raipur, the 17th February 2016

NOTIFICATION

No. F 4-48/2015/56. — The State Government hereby notifies the Chhattisgarh Innovation and Entrepreneurship Development Policy, 2015 as per enclosed annexure. Which shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette" and will be valid till 31st October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SAURABH KUMAR, Deputy Secretary.

Annexure

CHHATTISGARH INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT POLICY, 2015

1. Preamble

1.1. India, with a strong GDP growth forecast in coming years and a population of 1.2 billion, is one of the best markets for growth and investments. Further, it is also the fastest growing and 3rd largest Start-Up Ecosystem globally (NASSCOM Start-up Report 2014) with more than 3100 start-ups (2014), and set to increase to 11,500 by 2020. According to the International Monetary Fund (IMF), as of April 2015, the Indian economy is nominally worth US$2.306 trillion; it is the 7th largest economy by market exchange rates, and at US$7.996 trillion, is the third-largest by purchasing power parity. India, poised to surpass USD 3 trillion mark in less than five years, is the third largest smartphone market in the world after China and the U.S.

1.2. Chhattisgarh is one of the fastest growing states in India and is amongst the richest states in terms of natural and mineral resources. The State, at the heart of central India, provides for a unique locational advantage with direct physical access to markets of 7 states. Chhattisgarh is a power surplus state and provides stable power at economical rates with redundancy. It is the first state to have provided the 'Right to Skill'. The State has an excellent educational ecosystem with Indian Institute of Management, International Institute of Information Technology, National Institute of Technology, All India Institute of Medical Sciences, National Law University successfully operational and an IIT and Centre of Excellence in IIIT by Siemens are to come up soon.

1.3. In a short span of 15 years the State has become a hub of major core sector industries like power, coal, steel and cement. On its way to building next generation future cities, the State has outpaced others by establishing Naya Raipur, with a gross area of 237 Sq. Km, as the first Greenfield Smart city of the 21st century. It is the first of its kind planned and designed city in the country, recognised at national and international levels .It is getting replicated in upcoming 100 smart cities project within India.

1.4. While standing on the foundation of innovation and entrepreneurship, the State is now focusing on developing sunrise sectors as new engines of state growth. With massive increase in mobile usage and a huge shift in mind-set among Indian consumers willing to experiment with new services from start-ups, the new entrepreneurship ecosystem today is getting fuelled by a vibrant Indian market which has attained a critical mass of online users.

1.5. The Government of Chhattisgarh recognises this new wave where Start-ups will be the dominant job creator of the future and the engine for social innovation. Even the faster growing large companies look for an innovation and entrepreneurial milieu to invest, which encourages them to 'soft land' with Incubator-cum-Accelerators.

1.6. An appreciation of the importance of innovation in promoting economic growth has encouraged the Government of Chhattisgarh to introduce policy initiatives to increase the quantum of entrepreneurial activity in the State and contribute to national growth. It is felt that Chhattisgarh with its enormous growth potential will immensely benefit by promoting innovation as the State Policy. This Policy is an endeavour to create a conducive environment in the State for innovation

and entrepreneurship, leveraging its strengths which lies in its natural resources (i.e. minerals, forests, agriculture) and human resources particularly the tribal who have got high level of indigenous skill sets but are technology deprived; as well as new developments like Naya Raipur.

1.7. Department of Electronics and Information Technology, Government of Chhattisgarh would setup an institution, which would be the State Nodal Agency to govern, administer and implement this policy and the initiatives herein.

2. Strategy

2.1. Though the "Industrial Policy 2014-19" and "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19" of the State would be the mother policy for new age entrepreneurs, the additional impetus required for innovation and entrepreneurship would be provided by this Policy.

2.2. The Vision: To become the global epicentre of *"entrepreneurship and innovation", promoting sustainable and inclusive growth and enhancing global competitiveness by harnessing "research and technology."*

2.3. Objectives for next three years:

a) Establish Accelerators/ Technology Business Incubators (TBI) in the State

b) At-least 100 ventures to be set up

c) Start-ups incubated in the State to have funding raised from Venture Capitalists, Financial Institutes and Angel Investors

d) Conduct Start-Up Boot camps in Academia covering schools and universities.

e) Large innovative companies to link with the State and thus establish start-up infrastructure such as Accelerator, Incubators, Research and Development spaces

f) To be recognised by leading publications and eminent individuals/ corporates as one of the top hubs of innovation and entrepreneurship in Asia and the World

g) Promoting Gender Equality by encouraging women in entrepreneurship by ensuring that several of the participating start-ups to be women led or have women as co-founders

h) Enable the citizens of the State to be associated directly or indirectly with the start-ups to have a higher quality of life

2.4. The Policy will focus on innovative businesses in following areas:

a) Established core sectors like Iron, Steel, Aluminium, Coal, Power etc.

b) Internet of Things (IoT) and Wearable Technologies

c) Internet & Mobile Technology and Social Mobility Analytics & Cloud (SMAC)

d) Financial Technologies (Fin Tech) with focus on financial inclusion and mobile commerce (m -commerce).

e) Healthcare Technology

f) MSME sector to increase efficiency and new solutions for cluster based approach

g) Social Innovation for empowering citizens (this include technologies for safe drinking water and sanitation, solar based innovations, IT/mobile technology for agriculture, forest produce, affordable biomedical devices, mobile based diagnostics, affordable prosthetics, education, skill development and livelihoods etc.).

h) Emerging sectors of the State such as Defence, Automotive, Agro Processing, ESDM and Biotechnology

i) Renewable Energy

j) Safe and Smart Cities, and Smart Villages

2.5. State Nodal Agency will set up a dedicated State Core Incubator-cum-Accelerator where start-ups will be incubated. Government will create a Venture Capital Fund to help successful start-ups scale up. Government of Chhattisgarh aims to have active participation from academic institutes, Public Sector Undertakings (PSUs) and local entrepreneurs. The State would engage an experienced resource from the innovation/start-up ecosystem, to help formulate strategy and execution of this policy.

3. Six Elements of Success

This policy is based on six core elements, necessary towards making Chhattisgarh an entrepreneurial engine of economic growth for India and for the world. These six elements are:

- Incubators and Accelerators
- Prototyping Shops and co-working spaces
- Funding, incentives and state support
- Entrepreneurship Education and Skill Development.
- Market linkage
- Public Private Partnerships (PPP) based operations

3.1. Incubators and Accelerators

3.1.1. These are essential focal points of innovation making it into real life businesses; thus transforming 'ideas' into 'products'. This, in addition to generating wealth for the innovators, the State and the country, creates employment for many more.

a) The Government would establish at least one world class Core Incubator-cum-Accelerator by inviting educational institutes of repute to set up their center in the State

b) The core Incubator-cum-Accelerator would be set up in the State to boost the start-up and innovation ecosystem, with the participation of top corporations/companies, universities and industry associations, in a Public Private Partnership model

c) To bring the start-up community and large organisation together, State Nodal Agency will invite corporations to set up corporate innovation centres in the core Incubator-cum-Accelerator, in identified focus areas

d) On the basis of further requirement, Government may consider setting up district and sector focused mini incubation centres in potential districts, which will be aligned with Core Incubator-cum-Accelerator

3.1.2. Three major types of Incubator-cum-accelerator planned under the policy are as follows:

a) Technology Business Incubator cum Accelerator – These would focus on start-ups with technology based products/ideas which may be for any sector. They may be established by Government, Corporates, Universities/ Educational Institutes, Public Sector Companies and other private players. State Government will facilitate funding under State or Central Government Schemes, if any. The Core Incubator-cum-Accelerator would act as a knowledge centre for all Incubators and Accelerators across the State.

b) Business Incubators cum Accelerators – These Incubators and Accelerators would be sector agnostic and would coach, mentor and incubate all types of start-ups irrespective of product, sector and stage of start-up. Priority would be given to entrepreneurs with ideas/ products for grassroots economic development at district level or innovative solutions for social impact.

c) Medium, Small and Micro Enterprises (MSME) focus incubators & accelerators – This type of Incubators and Accelerators would focus on development of small and medium entrepreneurs through entrepreneurship training, business plan development, capital linkage facilitation and market linkage facilitation. As these entrepreneurs would also form a support ancillary system for core sector industries of the State, funds from core industry may be sought for development of such incubators and accelerators. These incubators and accelerators would also help in energising the MSME sector through competitiveness.

3.2. Prototyping Shops and Co-Working Spaces

3.2.1. The core Incubator-cum-Accelerator will have a slew of common facilities for all incubates to share including but not limited to:

a) Part fabrication and prototyping studio.

b) Part hacker space and part learning center for the maker community.

c) Facilities to include laser cutters, plastics and electronics labs, a machine shop, a wood shop, a metal working shop, a textile department, welding stations ,water jet cutter etc..

d) Members may have open access to design software, featuring some of the leading design suite.

e) Huge project areas with large worktables will be made available for completing projects and collaborating with others.

f) A number of experience-driven corporate events will be developed specifically to bring teams together and engage them in the act of making.

g) Connect with local core industries for developing technology smart solutions for traditional industry.

3.2.2. The core Incubator-cum-Accelerator will include co-working spaces, aligned to achieve inclusive and sustainable socio-economic growth. These co-working spaces will be dedicated to accelerating the application of social capital and technology for economic prosperity. This will be designed to be a multi-functional, multi-purpose space where work will happen to catalyse creative tech and social ventures. This will be a place for technologists, social entrepreneurs, government, tech companies and impact investors in and around the state of Chhattisgarh to co-create new solutions for many social problems.

3.3. Funding and State Support

3.3.1. Two categories of fund will be created *for the core Incubator-cum- Accelerator:*

a) An **Innovation Fund** will be created by the State Nodal Agency through the State Finance Rules as grant in aid for setting up the core Incubator-cum-Accelerator for at least three years. The fund will be used as follows:

i. Setting up of infrastructure and office space with essential equipment

ii. Bearing operating expenditure involving cost of power, internet and other administrative expenditures

iii. Organizing international, national and local events with marketing, publicity and promotion.

iv. Conducting training, development and capacity building of operating staff

v. Boot camps in academic institutions like schools and universities

vi. Operating cost of Implementation Agency

vii. Financial Support to Start-ups: State will provide a suitable assistance (for a fixed period) to select few incubated start-ups, located in the State. Such start-ups would be selected through an appropriate evaluation process.

viii. To attract bright scientists, innovators and entrepreneurs to the state of Chhattisgarh, the fund will be utilised on issues of importance to the State and relevant globally (e.g. Smart City, Financial Inclusion etc.). There would be a "Challenge Program" wherein an individual or a group of individuals would list out the possible problems that they can foresee pertaining to the issues and would provide a practical solution for the same. The selected best ideas would be put in action in the State, which can be further scaled up in India and across the world.

b) A special Leap of Faith Revolving Fund© (LoFR Fund) for the Start-Ups

i. Recognising that the requirement of capital is most acute in running a start-up in the initial years, the LoFR Fund will provide up to Rs 50 lakhs of interest free loan to start-ups selected in the State Incubator.

ii. The above mentioned interest free loan will be recovered within a period of three years

iii. The recovered amount would be ploughed back into the LoFR fund.

3.3.2. Aside from this a **Venture Capital Fund** of more than Rs. 100 Crore would be mobilised by the State Nodal Agency leveraging various sources of funding for entrepreneurs and start-ups.

a) The Venture Capital Fund would invest in Start-ups located in Chhattisgarh, based on criteria to be defined by the Steering Committee

b) The Fund would be managed as a Private Equity (PE) or Venture Fund. Some of this fund may be allocated as venture philanthropy funds or social impact fund to support high-risk, high-potential early-stage ventures with social or environmental missions

c) The state government is committed to increase the participation of women in the State start-up and entrepreneurship programs. A separate corpus out of these or Venture Capital Fund will be earmarked for women innovators in order to motivate and empower women entrepreneurs in the State. These initiatives will be aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)

3.3.3. Sources of Fund:

a) Funds to be raised from State Budget and additionally State departments, Corporations, Societies and Institutions including CSR funds from PSUs which will be managed by State Nodal Agency

b) The State government would try to leverage various ministries and departments of Government of India for funding support, which includes Department of Science & Technology, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of MSME, Niti Aayog etc.

c) State Departments/ Govt. Agencies/ Corporations/ PSUs etc. may approach the State supported Core Incubator cum Accelerator to fund appropriate solutions for current or foreseeable needs after taking concurrence of Steering Committee

3.3.4. Financial Benefits to Incubatees:

All Incubators-cum-Accelerators and start-ups will be entitled to incentives available under "Industrial Policy 2014-19" and "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19".

3.3.5. Self-Sustainability of Incubator/Accelerator – Aim would to be to make the incubator/ accelerator self-sustainable after a period of three years. This will be done through:

a) Corporate sponsorships

b) Rentals from start-ups

c) Returns from equity invested in the start-ups

d) Consulting assignments

3.4. Entrepreneurship Education & Skill Development

To build the culture of innovation and entrepreneurship, the state would focus on strengthening the foundation which is laid at an early stage. This would be done through imparting entrepreneurship skills at schools and college level. Thus local capacity development of academic community in the state of Chhattisgarh and training of mentors at par with the world is important.

a) Innovation kits & Start-up Toolboxes would be given to students and faculties in the Schools and Colleges along with Entrepreneurship training which would be imparted using online and off-line methods.

b) The Government, with the support of private sector, will organise boot camps to encourage entrepreneurship in schools and colleges/universities; this will also be encouraged through special initiatives like:

i. Participating in and organising innovation events and social entrepreneurship initiatives

ii. College Excellence Programs (CEP)and Centre for Entrepreneurship and Innovation in college & university campus, in order to provide immersive learning, experiences, training and exposure to students for building an actual product, with product market fit and getting a real start-up exposure

iii. Exchange programs with leading education institutions and universities

c) Companies with prior experience of organising such programs will be facilitated by State Nodal Agency as they garner sponsorship from national and international sources and conduct such events in academic institutions and in the State.

d) An internship and fellowship program would be encouraged by the State Government for selected student entrepreneurs in order to make them pursue their innovations/ start-up ideas.

e) The State Government would continually work with educational institutions and universities in the State in sensitising them in updating their syllabus to include courses/ modules related to entrepreneurship, innovation and start-ups. Necessary co-ordination and discussions will be held with AICTE and UGC as required.

f) The State Government would also work with universities to enable a mechanism of students earning academic credits and attendance criteria relaxation on time spent in innovation/ testing a new idea.

g) The State Government would impress upon universities and institutes to introduce the concept of Student Entrepreneur in Residence.

h) Entrepreneurship talk shows and start-up festivals would be organised by the State Nodal Agency for students wherein leading speakers, professionals, entrepreneurs, businessmen and leaders would share their experiences and learnings.

i) Digital India Initiative, GoI scheme for e-Literacy would be implemented to make one person e-Literate in each household as per the vision of Digital India.

j) The State Government will introduce a formal policy for provision of extra attendance and marks to students opting to start their venture or intern in any of the start-ups at state incubators/accelerators; this would pave the path for promoting entrepreneurship amongst youth.

3.5. Market Linkage

One of the critical components for success of the Incubators and Accelerators is creating a global brand and providing right corporate and market linkages to incubatees. To ensure this linkage, the State will ensure facilitation of the following:

a) Corporate and State Connect– Start-ups tend to lose out on the stages of prototyping and market testing; prototyping is often very challenging in terms of requirement of specialised equipment etc. Market testing becomes a problem since start-ups don't have a distribution channel and market connect. Here is where corporates come in handy; they can commit certain volumes of prototypes for the products related to their sector. Corporates may also do market testing for selected products using their existent channels. This would give them a chance to leverage R&D at lower cost and higher speed. The State Nodal Agency will facilitate similar support of market testing for incubatees in government institutions.

b) Investor Connect – Scalable innovative solutions with customer inputs would provide a strong case for the industry to invest in the start-ups. The State Nodal Agency will facilitate hosting of demo days where such solutions can be showcased to the industry and investor community.

c) Annual start-up festival would be scheduled to showcase the talent of young minds who would be felicitated at the state level.

d) Through exchange programmes and international visits, the mature start-ups, college and school students will be exposed to leading start-up destinations.

3.6. Public Private Partnership (PPP)

The State Government will partner with national/international educational institutions recognised globally for building incubators/ accelerators. The institute with local expert partners, consultants with experience of managing global entrepreneurship program, will be the Implementation Agency. This agency will help the State with running the acceleration process, creating online teaching and start-up education content as well as with mentoring program for both early stage and late stage start-ups.

State Government would strengthen the quality of the Incubators/ accelerators set up in the State by leveraging the services of these technical experts/ mentors/ coaches/ university to train and certify local talent so that a pipeline could be developed in the State for the role of entrepreneurship educators, mentors and incubation manager.

3.6.1. Responsibilities of the State Nodal Agency

a) Provide guidance and support to arrange Infrastructure and other necessary technical and commercial support from time to time for successful running of Incubator.

b) Physical Infrastructure necessary for start-up/ incubates and Operational Subsidies for the Core Incubator cum Accelerator will be developed and provided based on different types of start-ups (product, manufacturing, software, apps etc). Small or early stage start-ups will be promoted equally by providing them provisions for shared workspace and other economically viable tailor made facilities. The Nodal Agency may also give suitable subsidies to the Core Incubator cum Accelerator for recruitment of an operations team and for providing common services such as accounting, bank funding, legal registrations, patent

registrations etc. The Nodal Agency may also consider providing residential facilities to incubate on a case to case basis.

c) Managing the Innovation Fund and Leap of Faith Revolving Fund©

d) Any other responsibilities entrusted by the Steering Committee.

3.6.2. Key expectations from the Implementation Agency

a) Vision and execution of this policy

b) Organisational responsibility and management of core Incubator-cum-Accelerator

c) Establishing Support Eco-Systems, Capital Asset Management, Technical Resources, others services like accounting, registration, IP etc.as required

d) Assist in start-up challenges and selection of incubates

e) Assist incubatees in industry and corporate connect

f) Facilitate in funding, nurturing and supporting Incubated start-ups with a flexible framework based on the changing incubatee requirements in the Sector

g) Partnership with suitable corporate brands, academia and association tie-ups

h) Ensure pro-active participation of VCs and other Private Sector companies in terms of raising funds for the incubates

i) Knowledge management and information/marketing kits

j) Campaigns and marketing strategy including social media, online and digital connect

k) Put up cases under Leap of Faith Revolving Fund (LoFR)

l) Facilitate creation of a self-sustaining business model needed for the execution and management of core Incubator-cum-Accelerator such that the Incubator/Accelerator could be successfully managed and run, after 3 years of operations

4. Steering Committee

4.1. A Steering Committee will be constituted for guidance, inter departmental coordination, monitor and review implementation policy and to encourage innovation and entrepreneurship in the State. The committee shall consist of the following members:

1.	Chief Secretary	Chairman
2.	Secretary, Finance Department	Member
3	Secretary, Commerce and Industries Department	Member
4	Secretary, Electronics and Information Technology Department	Member
5	Secretary, Law Department	Member
6	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation	Member

7	Chief Executive Officer, Naya Raipur Development Authority	Member
8	Commissioner cum Director, Technical Education Department	Member
9	Director, Industries	Member
10	Managing Director, Chhattisgarh Mineral Development Corporation (CMDC)	Member
11	Vice Chairman, Chhattisgarh Infotech and Biotech Promotion Society (CHiPS)	Member
12	Chief Executive Officer, Chhattisgarh Infotech and Biotech Promotion Society (CHiPS)	Member
13	Deputy Secretary/ Joint Secretary, Electronics and Information Technology Department	Member Secretary

4.2. The Steering Committee may invite any other representatives as per requirement. All decisions of Steering Committee regarding this policy shall be final and shall be binding on all the concerned parties including investors in the State.

4.3. Functions of Steering Committee:

a) To approve the engagement of Partner/ Educational Institutes for managing core Incubator-cum-Accelerator in the State and also approve other institutions which wish to setup incubator/accelerator in the State

b) To approve fund disbursement mechanism, quantum and the procedure of selection of start-ups to be incubated

c) To grant approval to quantum of incentives offered to core Incubator-cum-Accelerator and other incubator/accelerator that would be setup in the State

d) To approve the action plan for this policy, monitor implementation of policy and periodic reviews

e) To authorise the issuance of any executive orders/directives for effective functioning of this policy

f) To approve and put up before the state cabinet, any additional support required for the start-up ecosystem

5. Other Conditions

5.1. The policy will be valid from the date of notification of this policy till 31st October, 2019.

5.2. Government of India is also releasing its policy regarding start-up very soon. In case the incubators-accelerators start-up established in the State under this policy are eligible for additional incentives/subsidies/reimbursements under the policy of the Government of India, then these

should also be eligible for getting incentives/subsidies/reimbursements permissible under the policy of the Government of India.

5.3. In case of any dispute arising regarding interpretation of the provisions of this policy, decision taken by the Department of Electronics & Information Technology shall be final.

5.4. In case of any difficulties arising in implementation of this policy, Department of Electronics and Information Technology is authorized to issue directions or orders.

5.5. To enable successful implementation of this policy, operational guidelines shall be issued by Department of Electronics and Information Technology on timely manner as per the needs of the start-up ecosystem.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016